

**महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार**  
दारोगा राय पथ, रोड नं०- 02, आर. ब्लॉक, पटना- 800001  
email: nigamwdc@gmail.com

**कार्यालय आदेश**

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेध एवं सुधार) अधिनियम-2013 की धारा 4(1) एवं 4(2) के आलोक में महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के स्तर पर महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं इस संबंध में प्राप्त परिवादों की सुनवाई हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या WCDC-589/22 दिनांक 08.04.2022 द्वारा गठित आंतरिक परिवाद समिति का पुर्नगठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नं०	ई-मेल पता
1.	श्रीमती अंकिता कश्यप	अध्यक्ष	9955998052	kashyap.ankita@gmail.com
2.	श्रीमती नीना श्रीवास्तव	सदस्य	6207092051	equityaria@gmail.com
3.	डॉ. महालक्ष्मी कुमारी	सदस्य	9304730456	mfluxsingh@rediffmail.com
4.	श्रीमती अनुपमा ओझा	सदस्य	9955998049	anupamamojha@rediffmail.com
5.	श्री अरुण कुमार चौधरी	सदस्य	8235801254	arun_rims@yahoo.co.in
6.	श्रीमती कुमारी नेहा	सदस्य	9955998025	Wdcneha712@gmail.com

उक्त समिति अधिनियम व नियमावली के आलोक में अपने कार्यालय स्थल महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी तथा निर्धारित समयकाल में निष्पादन सुनिश्चित करेगी। यह समिति प्रत्येक माह में एक बार बैठक करेगी तथा स्थिति की समीक्षा कर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कदम उठायेगी।

अधिनियम की धारा 4(3) के प्रावधानानुसार आंतरिक समिति का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से अगले तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार